

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2283

दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का प्रारूप

†2283. श्री आनंद भदौरिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गयी राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) 2026 के प्रारूप का लक्ष्य विनियमन में ढील, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2005 के ढांचे को प्रतिस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनईपी 2026 की अन्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या एनईपी के प्रावधानों का बिजली का उपभोग करने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) 2026 का एक मसौदा तैयार किया गया है और दिनांक 20.01.2026 को हितधारकों के परामर्श के लिए प्रसारित किया गया है। मसौदा नीति का उद्देश्य मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 को प्रतिस्थापित करना है। एनईपी 2026 में किफायती मूल्य पर ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरणीय रूप से वहनीय विद्युत क्षेत्र के माध्यम से विश्वसनीय 24X7 गुणवत्ता वाली विद्युत प्रदान करने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियाँ निर्धारित की गई हैं।

मसौदा एनईपी 2026 में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र में वित्तीय बदलाव और वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों के अनुरूप गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने, विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और

विद्युत क्षेत्र के विनियमन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। एनईपी 2026 के मसौदे की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध** में शामिल हैं।

(ग), (घ) और (ङ) : विद्युत मंत्रालय द्वारा कोई एनईपी 2020 अधिसूचित नहीं की गई है। हालांकि, मसौदा एनईपी 2026 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के गरीब उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। मसौदा एनईपी 2026 में अधिकतम मांग और समग्र ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के साथ विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रावधानों और विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण की सहायता करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विद्युत की आपूर्ति को सक्षम बनाने की रूपरेखा दी गई है; जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को लाभ होगा। कम आय वाले उपभोक्ताओं के हितों का राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित उचित विनियामक फ्रेमवर्क के माध्यम से और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी भुगतान के माध्यम से समाधान किया जाएगा।

राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2026 के मसौदे की मुख्य विशेषताएं

1. **संसाधन पर्याप्तता (आरए):** विकेंद्रीकृत अग्रिम योजना के माध्यम से आवश्यक क्षमता विस्तार सुनिश्चित करने के लिए, डिस्कॉम और एसएलडीसी राज्य आयोगों के नियमों के अनुसार यूटिलिटी और राज्य स्तर पर आरए योजनाएं तैयार करेंगे। सीईए राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए एक संबंधित राष्ट्रीय योजना तैयार करेगा।
2. **वित्तीय व्यवहार्यता और आर्थिक प्रतिस्पर्धा:**
 - टैरिफ को स्वचालित वार्षिक संशोधन के लिए उपयुक्त सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए जो तब काम करता है जब राज्य आयोग द्वारा कोई टैरिफ आदेश पारित नहीं किया जाता है।
 - टैरिफ में टैरिफ घटकों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बीच क्रॉस-सब्सिडी से बचने के लिए मांग शुल्क के माध्यम से निश्चित लागतों को उत्तरोत्तर वसूल किया जाना चाहिए।
 - भारतीय वस्तुओं की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए विनिर्माण उद्योग, रेलवे और मेट्रो रेलवे पर क्रॉस-सब्सिडी और अधिभार की छूट।
 - समुचित सरकारों के परामर्श से, विनियामक आयोग 1 मेगावाट और उससे अधिक के अनुबंधित लोड वाले उपभोक्ताओं के संबंध में वितरण लाइसेंसधारियों को सार्वभौमिक सेवा दायित्व से छूट दे सकते हैं।
 - विनियामक आयोगों पर भार कम करने, शीघ्र विवाद समाधान को सक्षम बनाने और उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार को कम करने के लिए विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करना।
3. **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और भंडारण:**
 - बाज़ार-आधारित तंत्र और कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के माध्यम से आरई क्षमता वृद्धि।
 - लघु उपभोक्ताओं की ओर से वितरण लाइसेंसधारी द्वारा भंडारण संस्थापन ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर इकॉनमी का फायदा मिल सके और थोक उपभोक्ता को वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) स्रोतों को अपनाने में आसानी हो।
 - डीआरई से अतिरिक्त ऊर्जा का व्यापार तथा उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं (पी2पी) अथवा एग्रीगेटर्स के माध्यम से स्वयं भंडारण।
 - वर्ष 2030 तक शेड्यूलिंग और विचलन में आरई और पारंपरिक स्रोतों के बीच समानता।
 - भंडारण की बाजार आधारित तैनाती, उभरती बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) प्रौद्योगिकियों का उपयोग, बीईएसएस और पंप भंडारण परियोजनाओं के लिए वीजीएफ जैसे मांग पक्ष प्रोत्साहन के लिए सेल और बीईएसएस के अन्य घटकों का घरेलू विनिर्माण।
4. **तापीय उत्पादन:**
 - ग्रिड सहायता के लिए भंडारण का एकीकरण और पुरानी इकाइयों के पुनः प्रयोजन ताकि अधिक नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को सक्षम किया जा सके।
 - इष्टतम उपयोग के लिए जिला शीतलन या औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे अनुप्रयोगों के लिए थर्मल संयंत्रों से उत्पन्न भाप के प्रत्यक्ष उपयोग की संभावना की खोज।
5. **परमाणु उत्पादन:**
 - 'शांति' अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप, उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों को अपनाना, मॉड्यूलर रिएक्टरों का विकास करना, छोटे रिएक्टरों की स्थापना करना, और 2047 तक 100 गीगावाट हासिल करने के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना।

6. जल विद्युत उत्पादन:

- बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा के लिए भंडारण-आधारित जलविद्युत परियोजनाओं का त्वरित विकास।

7. विद्युत बाजार:

- मिलीभगत, गेमिंग या बाजार प्रभुत्व को रोकने के लिए बाजार देखरेख और निगरानी के लिए एक मजबूत विनियामक फ्रेमवर्क।

8. पारेषण:

- मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाना और भूमि उपयोग के लिए उपयुक्त मुआवजा।
- सभी प्रकार की नई आरई क्षमता के लिए 2030 तक पारंपरिक विद्युत के साथ पारेषण टैरिफ की समानता।
- पारेषण कनेक्टिविटी के आवंटन के लिए उपयोग-आधारित फ्रेमवर्क, साथ ही सही विनियामक प्रणाली ताकि बेहतर उपयोग हो सके और कनेक्टिविटी को अटकलबाजी से रोका जा सके।

9. वितरण:

- एकल अंक के एटीएंडसी हानियों को प्राप्त करने के उपाय।
- प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने के लिए साझा वितरण नेटवर्क, जबकि नेटवर्क के दोहराव की आवश्यकता को समाप्त करना।
- वितरित नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण, वाहन-से-ग्रिड (वी2जी) प्रणालियों के नेटवर्क और एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वितरण प्रणाली ऑपरेटर (डीएसओ) की स्थापना।
- वर्ष 2032 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर एन-1 अतिरेक। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क को भूमिगत करने के लिए ऐसे शहरों पर विचार किया जाना चाहिए।

10. ग्रिड संचालन:

- राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) की कार्यात्मक अनबंडलिंग और एसएलडीसी संचालन तथा पारेषण स्कीम कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र राज्य-स्तरीय संस्थाओं का निर्माण।
- सीईआरसी द्वारा निर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के साथ राज्य ग्रिड कोड का संरेखण

11. साइबर सुरक्षा:

- सुदृढ़ साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क की स्थापना।
- डेटा संप्रभुता और प्रणाली लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए भारत के भीतर विद्युत क्षेत्र के डेटा का अनिवार्य भंडारण।

12. डेटा शेयरिंग:

- केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क के तहत परिचालन और बाजार डेटा साझा करना।
- डिस्कॉम और एसएलडीसी को वितरित ऊर्जा संसाधनों की वास्तविक समय दृश्यता सुनिश्चित करना।

13. प्रौद्योगिकी और कौशल विकास:

- वर्ष 2030 तक स्वदेशी रूप से विकसित स्काडा प्रणाली में परिवर्तन।
- विद्युत प्रणाली में सभी महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए घरेलू सॉफ्टवेयर समाधान का विकास।
